

	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (An ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified Company) (भारतसरकारउपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी) CINNo. U74899DL1963GOI003913 कार्यालय : मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 48-49, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल-462023 फोन : 0755-2580271, 2580319 ई-मेल: nscengbpl@gmail.com, rm.bhopal@indiaseeds.com वेबसाइट: www.indiaseeds.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (An ISO 9001:2008 & ISO14001:2004 Certified Company) (A Govt. of India Undertaking - Miniratna Company) CIN No. U74899DL1963GOI003913 Regional Office: Madhya Pradesh & Chattisgarh 48-49, Sector-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023 Phone: 0755-2580271, 2580319 E-mail: nscengbpl@gmail.com, rm.bhopal@indiaseeds.com Website: www.indiaseeds.com
---	--	---

क्र.3/अभि./गोदाम-निवाड़ी/एन एस सी-भो/2026-27/

दिनांक:- 27-04-2026

“अल्पकालीन ई -निविदा आमंत्रण सूचना”

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा “ जिले – निवाड़ी ” में गोदाम किराए पर लेने बाबत ऑनलाइन अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक निविददाता जिसके पास स्वयं का बीज भंडारण गोदाम, निविदा में दर्शायी गयी नियम एवं शर्तों के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 04/05/2026 को 15:00 बजे तक हैं तथा निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जाएगी। निविदा संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं संशोधन एनएससी की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर ही देखे जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING-MINIRATNA COMPANY)

REGIONAL OFFICE: BHOPAL 462 023 (Madhypradesh)

(CIN NO: U 74899 DL 1963 GOI 003913)



TERMS & CONDITIONS OF E-TENDER/ CONTRACT FOR

Engagement of custom processor & Godown hiring at NSC Niwari (MP)

TENDER SHOULD BE SUBMITTED IN TWO BIDS SYSTEM ONLINE

DATE OF PUBLISHING: 27/04/2026

TENDER DOCUMENT AVAILABLE FOR ONLINE SUBMISSION: 27/04/2026 UP TO 15:00 hours.

ON NSC e-Portal: <http://indiaseeds.enivida.com>

OPENING OF TENDER : Dated on 04/05/2026 at 15:01 Hours

COST OF TENDER FORM: Rs. 100 + 18%(GST) paid online only

Contact details:

Particulars	Telephone	E-mail	Fax
H.O. New Delhi	011-25842209	agm.engg@indiaseeds.com	011- 25841337
Regional Office – Bhopal (MP)	0755-2580271 7978159785 9993003714 9448843240	rm.bhopal@indiaseeds.com	0755-2580271
Web Site	www.indiaseeds.com		

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING MINIRATNA COMPANY)

REGIONAL OFFICE: BHOPAL 462 023(Madhypradesh)

(CIN NO: U 74899 DL 1963 GOI 003913)

No.3/Engg./Godown hiring-Niwari/NSC-Bho/2026-27

Dt.27/04/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल - 462 023 (मध्य प्रदेश) उन मालिकों से दो बोली प्रणाली के तहत ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है, जिनके पास गोदाम हैं :

SL	Particulars	Details
1.	Tender called for	Engagement of godown hiring at Niwari District.
2.	Location	Niwari District (MP)
3.	Period of contract	6 months
4.	Earnest money	Godown hiring Rs.10,000/- (Rupees Ten thousand)
5.	Tender Document cost	Rs.100 + 18 % (GST) (Rs.118.00)
6.	Last Date & Time for submission of e-tender	04-05-2026 up to 15:00 Hrs.
7.	Date & Time for opening of e-tender	04-05-2026 at 15:01Hrs
8.	Venue of bid opening	National Seeds Corporation Ltd., Regional Office, 48-49, Sector -B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal 462 023 (MP)

1. निविदा दस्तावेज एनएससी ई-पोर्टल: <https://indiaseeds.com> और enivida.com पर 04/05/2026 को 15:00 बजे तक अपलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
2. भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड निविदा दस्तावेज में दिए गए हैं।
3. निविदा के लिए भाग लेने वाले पक्षों को निविदा दस्तावेज की लागत के साथ ईएमडी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
4. (तकनीकी बोली) 04/05/2026 को 15.01 बजे खोली जाएगी।
5. (मूल्य बोली) बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तकनीकी विशिष्टताओं की जांच के बाद खोली जाएगी जो निविदा के उद्घाटन में भाग लेना चाहते हैं।
6. निविदाकर्ताओं को तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों को नियमों और शर्तों / निविदा दस्तावेजों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत करना चाहिए।
7. निविदा के साथ अपेक्षित ईएमडी और निविदा लागत नहीं होने तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
8. एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत उद्धृत वस्तु के लिए एमएसई/एनएसआईसी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज और ईएमडी की लागत के भुगतान से छूट दी गई है तथा वे एनएससी में अनुमोदित नीति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 का लाभ उठाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे अपने अनुरोध के साथ अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।
9. निगम किसी भी/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक

बोलीदाताओं के लिए निर्देश -

1. बोलीदाताओं/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को <https://indiaseeds.enivida.com> पर प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष 2360/- रुपये (कर सहित) का शुल्क देकर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करवाना होगा।
2. बोलीदाताओं को पैन नंबर, पंजीकरण विवरण आदि का विवरण प्रदान करना होगा और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। पूरा विवरण जमा करने के बाद ही यूजर आईडी सक्रिय होगी। सक्रियण प्रक्रिया में कम से कम 24 कार्य घंटे लगेंगे enividahelpdesk@gmail.com
3. बोलीदाताओं के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
4. बोलीदाताओं को अपनी कंपनी के विवरण के अनुसार क्लास 3 डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन) प्राप्त करना आवश्यक है।
5. एक बार बोलीदाता डीएससी को यूजर आईडी के साथ मैप कर दिया जाता है, तो उसी पोर्टल पर किसी अन्य यूजर आईडी के लिए उसी डीएससी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि बोलीदाता मौजूदा यूजर आईडी से इसे अन-मैप करने के बाद डिजिटल प्रमाणपत्र को किसी अन्य यूजर आईडी में अपडेट कर सकता है।
6. बोलीदाता अब इस पोर्टल में ऑनलाइन निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए सक्रिय यूजर आईडी और डीएससी के साथ लॉगिन कर सकते हैं।
7. बोलीदाता निविदा के लिए आवश्यक दस्तावेज मेरे दस्तावेज के तहत पहले से ही अपलोड कर सकते हैं और इन दस्तावेजों को निविदा आवश्यकताओं के अनुसार निविदा भागीदारी के दौरान निविदा से संलग्न किया जा सकता है। इससे बोली जमा करने की अवधि/समय अवधि बच जाएगी और बोली दस्तावेजों के अपलोड समय में कमी आएगी।
8. बोलीदाताओं को डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों को देखना होगा और विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार और अपलोड करना होगा।
9. एक बार बोलीदाताओं ने जिन निविदाओं में रुचि दिखाई है, उन्हें चुन लेने के बाद, बोलीदाता नेट-बैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रति निविदा 550/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करेंगे, फिर बोलीदाता बोली दस्तावेज आदि डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार बोलीदाता दोनों शुल्क का भुगतान कर देंगे तो निविदा की स्थिति "फॉर्म प्राप्त" दिखाई जाएगी। इससे ई-टेंडर पोर्टल बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा, यदि निविदा दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है।
10. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली दस्तावेज में दरे उद्धृत करने से पहले BoQ/SoQ/मूल्य बोली/वित्तीय बोली और नियम व शर्तें पूरी तरह से पढ़ लें।
11. BoQ/SoQ/मूल्य बोली/वित्तीय बोली टेम्पलेट में किसी भी प्रकार के संशोधन/प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। बोलीदाताओं को बोली पत्रक में केवल पूर्वनिर्धारित क्षेत्रों में ही उद्धृत करना चाहिए और बोली पत्रक को सहेजना चाहिए। सहेजने के बाद, उसी बोली पत्रक को पोर्टल में अपलोड करना होगा।

12. बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज में उल्लिखित आवश्यक भुगतान (निविदा शुल्क, ईएमडी, निविदा प्रसंस्करण शुल्क आदि) का भुगतान करना होगा।
13. बोलीदाताओं को दस्तावेज अपलोड करने के लिए पीडीएफ फाइलों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। केवल मूल्य बोली पत्रक एक्सेल प्रारूप में होगा।
14. बोलीदाताओं को निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से कम से कम 1 सप्ताह पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करना चाहिए और ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित होना चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए बोलीदाताओं को वेबसाइट पर संबंधित मैनुअल देखने की सलाह दी जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी/पीसी स्पीड/आदि जैसे स्थानीय मुद्दों के कारण बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन बोलियों को प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी प्रकार की देरी या कठिनाइयों के लिए निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकरण/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. बोलीदाताओं द्वारा बोलियों/दस्तावेजों/दरों का ऑफ़लाइन प्रस्तुतीकरण किसी भी परिस्थिति में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. बोली के अंतिम रूप से प्रस्तुत होने के बाद, पोर्टल द्वारा एक पुष्टिकरण संदेश और बोली प्रस्तुत करने की पावती तैयार की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की पावती में बोली सारांश, टोकन नंबर, बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का विवरण होता है। बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने की पावती का प्रिंट रख सकते हैं।
17. यदि बोलीदाता बोली को फिर से प्रस्तुत कर रहा है, तो बोलीदाता को सभी आवश्यक दस्तावेजों, वित्तीय बोली की मौजूदगी की पुष्टि करनी होगी और फिर से बोली प्रस्तुत करनी होगी। एक बार प्रस्तुत होने के बाद, बोली अपडेट हो जाएगी।
18. बोली प्रस्तुत करने का मतलब है कि बोली ऑनलाइन सहेजी गई है; लेकिन सिस्टम बोली की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बोली की सत्यता का निर्णय केवल निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
19. सर्वर में प्रदर्शित समय IST (GMT 5:30) है और सभी निविदा गतिविधियों के लिए इसे ही माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए सर्वर समय पर विचार करना चाहिए।
20. बोलीदाताओं/विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा दर्ज किए जा रहे बोली दस्तावेजों को क्लाउंट के अंत में एन्क्रिप्ट किया जाएगा और डेटा की सुरक्षा/गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर PKI एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है। प्रस्तुत बोली दस्तावेज/डेटा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

तकनीकी सहायता - फ़ोन: 9355030617, 8448288980

टेलीफ़ोन: 011-49606060

ईमेल आईडी - enividahelpdesk@gmail.com,

enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल

Section- I

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भोपाल बीजों के भंडारण के लिए गोदाम किराए पर लेने के लिए इच्छुक है। ऑनलाइन सीलबंद निविदाएं प्रतिष्ठित और अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं, जिनके पास छ माह की अवधि के लिए किराए के आधार पर बीज और कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए तैयार गोदाम हैं।

अनुबंध की अवधि:

अनुबंध छ माह की अवधि के लिए किया जायेगा | जिसको आपसी सहमति से बढ़ाया/घटाया जा सकता है। अनुबंध अवधि को संतोषजनक प्रदर्शन और उसी दर पर काम पूरा करने की सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया/नवीनीकृत किया जा सकता है।

1) गोदाम मालिक के रूप में पात्रता:

- I. गोदाम मालिक के पास जीएसटी, व्यावसायिक कर पंजीकरण, पैन होना चाहिए और निविदा के साथ 1 साल का आईटी रिटर्न जमा करना चाहिए।
- II. किराए पर लिया गया गोदाम आरसीसी और ईट के काम से बना होना चाहिए और नमी से बचने के लिए जमीन से कम से कम 2 से 3 फीट की पर्याप्त प्लिंथ ऊंचाई होनी चाहिए और गोदाम में वातन के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन और अच्छी तरह से खुलने वाले शटर/दरवाजे और पीसीसी या मैस्टिक फ्लोरिंग या ट्रिमिक्स फ्लोरिंग का फर्श होना चाहिए। गोदाम की भंडारण क्षमता की गणना प्रत्येक क्विंटल बीज के लिए 1.25 वर्ग फीट के मानदंडों के साथ की जाती है। सोयाबीन के बीज के ढेर की ऊंचाई सात फीट या कच्चे बीज के बैग की छह परतों या अच्छे बीज (30 किलोग्राम) के 15 बैग से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, आवश्यक बीज की मात्रा के लिए पर्याप्त स्थान निम्नानुसार है:
- III. कच्चे बीज / अच्छे बीज / पारित बीज के भंडारण के लिए किराए पर लिया गया गोदाम लगभग 5000 वर्ग फीट।
- IV. किराए पर लिए गए गोदाम में ईट की दीवार, स्टील के शटर, स्टील/लकड़ी के वेंटिलेटर और ए.सी. शीट की छत होनी चाहिए, अधिमानतः जी.आई. शीट या पाउडर कोटेड टारपेपर शीट के बजाय और गोदाम की ऊंचाई प्लिंथ स्तर से न्यूनतम चार मीटर (13 फीट) होनी चाहिए। गोदाम रिसाव रहित और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। गोदाम और प्लांट भवन का स्थान मुख्य सड़क/सभी मौसम वाली सड़क के पास होना चाहिए।
- V. किराए पर लिए गए गोदाम का आग, चोरी, संधमारी और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ बीमा होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड चौबीसों घंटे लगे रहने चाहिए। गोदाम के लिए लाइसेंस, गोदाम उपयोगिता प्रमाण पत्र, गोदाम प्रबंधक के रूप में व्यवसाय लाइसेंस और लेआउट ड्राइंग और स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदित गोदाम के चित्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- VI. किराए पर लिया गया गोदाम ऊंचे स्थान पर स्थित होना चाहिए और आग से बचने के लिए नदी/नाला/धारा के नजदीक नहीं होना चाहिए या विस्फोटक उद्योग के पास नहीं होना चाहिए।

चाहिए। इसी प्रकार प्लांट और गोदाम का स्थान शहर के भीतर बाजार के लिए सुलभ होना चाहिए/शहर के नजदीक स्थित होना चाहिए और सभी मौसमों और समय के दौरान पक्की सड़क द्वारा आसानी से पहुंचने योग्य होना चाहिए, ताकि प्रमाणीकरण और एनएससी अधिकारी, परिवहन (ट्रक और लॉरी) और पोस्ट और कूरियर सेवाएं आसानी से आवश्यकतानुसार पहुंच सकें।

- VII. किराए पर लिए गए गोदाम मालिक के पास गोदाम के लिए लाइसेंस, गोदाम उपयोगिता प्रमाण पत्र, गोदाम प्रबंधक के रूप में व्यवसाय लाइसेंस और गोदाम स्थल का ले-आउट ड्राइंग होना चाहिए।

---- ***** ----

Section- II

2) गोदाम मालिक के लिए सामान्य नियम एवं शर्तें:

- i. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को किराए पर गोदाम उपलब्ध कराने के लिए भाग लेने वाले बोलीदाता को **10,000/- रुपये** की ईएमडी ऑनलाइन (भोपाल में देय) के माध्यम से जमा करानी होगी।
- ii. गोदाम मालिक को कार्यालय के लिए गोदाम के अंदर अलग से जगह उपलब्ध करानी होगी तथा इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- iii. गोदाम में संबंधित विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिजली कनेक्शन होना चाहिए। कार्यालय एवं गोदाम को बिजली आपूर्ति की जाएगी।
- iv. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को गोदाम मालिक को एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय किराए पर दिए गए गोदाम का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- v. मालिक को प्रत्येक मौसम में गोदाम के टूटे हुए फर्श, दीवारों एवं छत की मरम्मत की व्यवस्था करनी होगी, ताकि बीजों को नुकसान न पहुंचे। किराए पर दिए गए गोदाम की सभी मरम्मत एवं रख-रखाव गोदाम मालिक द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जाएगा।
- vi. विवाद का निपटारा: बिंदु संख्या 4 के खंड I में उल्लिखित अनुसार देखें। (दोनों बोलियों के लिए सामान्य नियम और शर्तें)
- vii. गोदाम/गोदाम के स्थान और स्थान पर उत्पन्न विवाद की परवाह किए बिना सभी न्यायालयीन मामले नई दिल्ली न्यायालय में निपटाए जाएंगे।
- viii. बोलीदाता को बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर और हस्ताक्षर करना चाहिए, प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए।
- ix. गोदाम/गोदाम के ताले की चाबी राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पास होगी।
- x. प्रसंस्करण संयंत्र में अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियाँ, कीट नियंत्रण और कृतक नियंत्रण जैसे सभी सुरक्षा उपाय हर समय मौजूद होने चाहिए और उपरोक्त सभी व्यवस्था गोदाम मालिक द्वारा की जाएगी/वहन की जाएगी।
- xi. एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत उद्धृत वस्तु के लिए एमएसई/एनएसआईसी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज और ईएमडी की लागत के भुगतान से छूट दी गई है तथा वे एनएससी में अनुमोदित नीति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 का लाभ उठाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे अपने अनुरोध के साथ अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

- xiii. किराए पर लिए गए गोदाम के परिसर में परिसर की सुरक्षा और किराए पर लिए गए गोदाम और स्टॉक की सुरक्षा के लिए या तो कम्पाउंड दीवार या कम से कम कांटेदार तार की बाड़ या चेन लिंक बाड़ होनी चाहिए।
- xiv. गोदाम और खुले परिसर में पर्याप्त रोशनी
- xv. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा कोई सुरक्षा या निगरानी शुल्क नहीं दिया जाएगा और गोदाम मालिक द्वारा 24 घंटे के लिए पर्याप्त सुरक्षा/निगरानी और निगरानी प्रदान की जानी चाहिए।

3) भुगतान शर्तें:

- किराए पर लिए गए गोदामों के लिए प्रत्येक बिल से आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लागू कर की कटौती की जाएगी।
- कर: जीएसटी, नगर पालिका/नगर पालिका आदि जैसे सभी अप्रत्यक्ष करों का वहन नियम के अनुसार गोदाम मालिक द्वारा किया जाएगा।

4) गोदाम किराए पर लेने के लिए सामान्य नियम और शर्तें-

I. अनुबंध पर हस्ताक्षर:-

क. अनुबंध पर हस्ताक्षर:- सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा के सारे कागज़ व अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यालय को जमा करवाएगा। अनुबंध, नोटरी, अन्य संबंधित खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

ख. सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किराए के गोदाम के लिए **25000.00 रुपये** (केवल पचीस हजार रुपये) की सुरक्षा राशि जमा करवाएगा। ईमडी, सुरक्षा राशि में समायोजित कर ली जाएगी।

ग. अनुबंध पूर्व अखंडता संधि:- सफल निविदाकार जिसका कार्य आदेश रु। एक करोड़ से अधिक की राशि होने पर उन्हें निर्धारित प्रारूप में पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौता निष्पादित करना होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा (क), (ख) और (ग) की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता पुरस्कार को रद्द करने और ईएमडी को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी, ऐसी स्थिति में क्रेता/निगम अगले सबसे कम मूल्यांकित बोलीदाता को पुरस्कार दे सकता है या नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

II. बयाना राशि की वापसी:-

(ए) असफल निविदाकार: Unsuccessful Tenderers

यदि असफल निविदाकार अंतिम निर्णय प्राप्त होने से पहले अपने प्रस्ताव वापस नहीं लेते हैं, तो बयाना राशि, निविदाओं के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात अथवा संबंधित प्रस्ताव की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो भी पहले हो, बिना ब्याज के आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दी जाएगी तथा निगम, निविदाकारों को बयाना राशि के भुगतान के लिए बैंक के कमीशन की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(बी) सफल निविदाकार: Successful Tenderers

A. सफल निविदाकारों को निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, सुरक्षा राशि जमा करने तथा पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि (यदि 1 करोड़ से अधिक का ऑर्डर है) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को पूरा करना होगा तथा निविदा में दर्शाए गए तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा समग्र बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

B. सफल निविदा के पश्चात, निविदाकार को उपरोक्त वर्णित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, बयाना राशि जमा उसे/उन्हें वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

C. तरलता क्षति:- Liquidity Damage: गोदाम किराये पर लेना:- अनुबंध की किसी भी शर्त के पूरा न होने, गोदाम के रखरखाव न होने/भंडारण की स्थिति/चोरी/संधमारी/आग/प्राकृतिक आपदा के कारण उपज की हानि होने की स्थिति में निगम गोदाम प्रदाता पर अनुमानित हानि के मूल्य के बराबर जुर्माना लगा सकता है।

D. ईएमडी की जब्ती:- Forfeiture of EMD

(ए) यदि कोई निविदाकर्ता एनएससी द्वारा निविदा प्रपत्र पर निर्दिष्ट निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है:

या

(बी) सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि निविदाकर्ता निविदा के अनुसार अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और समग्र बीजी प्रदान करने में विफल रहता है।

E. डिफॉल्ट और जोखिम खरीद: Default & Risk purchase: यदि आपूर्तिकर्ता किसी भी तरह से निविदा के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है या अन्यथा अनुबंध का प्रदर्शन करने में विफल रहता है या कार्य आदेश के अनुसार समय पर अनुबंध पूरा करने में विफल रहता है। निगम को आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर अनुबंध के अंत में घोषित करने का अधिकार होगा और आपूर्तिकर्ता ऊपर दिए गए अनुसार देरी के लिए किसी भी परिसमाप्त क्षति के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी अतिरिक्त व्यय, हानि या क्षति के लिए जो निगम को अनुबंध के डिफॉल्ट के कारण या उसके संबंध में उठाना पड़ सकता है।

F. स्टॉक का रखरखाव: Maintenance of stock -

गोदाम प्रदाता सभी आवश्यक एहतियाती उपाय जैसे छिड़काव, धूम्रीकरण करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा कि कच्चे बीज प्राप्ति से लेकर पैक किए गए बीज के प्रेषण तक बीजों को संभालते समय कोई वैरिएटल/मैकेनिकल मिश्रण न हो। बीज स्टॉक को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए धूम्रीकरण, छिड़काव और धूल, सफाई, स्वीप एज कस्टम प्रोसेसर द्वारा किया जाएगा। संसाधित की जाने वाली सभी सामग्री, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड स्टॉक और सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कस्टम प्रोसेसर के सभी गोदामों और संयंत्र भवनों को सील कर देगा। किसी भी मामले में कस्टम प्रोसेसर किसी अन्य पार्टी या बीज उत्पादक को अपने आप स्टॉक या सामग्री नहीं देगा। अन्यथा यह कस्टम प्रोसेसर की जिम्मेदारी होगी।

G. भुगतान:- Payment :

किराए के गोदाम के लिए भुगतान शर्तें:- कर या किसी अन्य कटौती की आवश्यक कटौती करने के बाद 100% भुगतान मासिक आधार पर जारी किया जाएगा।

H. एम एस ईएस पंजीकृत पक्ष - M S Es Registered party

भारत में एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत उद्धृत वस्तु के लिए एनएसआईसी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्यम (एमएसई) को निविदा दस्तावेज और ईएमडी की लागत के भुगतान से छूट दी गई है और साथ ही वे एनएससी में अनुमोदित नीति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 का लाभ उठाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे अपने अनुरोध के साथ अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करें।

I. विवादों का निपटान: Settlement of Disputes

निविदा, अनुबंध या उनकी किसी भी शर्त की व्याख्या या उसके कार्यान्वयन या अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न या संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता या निगम/क्रेता के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ को भेजा जाएगा और सीएमडी की अनुपस्थिति में, निगम का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी ऐसी नियुक्ति करेगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में होगा। किसी भी विवाद के मामले में केवल नई दिल्ली/दिल्ली स्थित न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। मध्यस्थ के पास पक्षों की सहमति से निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति होगी। पक्षों को मध्यस्थ की नियुक्ति पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ ने किसी पहले के चरण के मामले को निपटाया है।

यदि किसी विवाद में शामिल दावे 1 लाख रुपये से अधिक के हैं तो मध्यस्थ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुसार एक स्पष्ट निर्णय देगा। यदि आपूर्तिकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो उपरोक्त खंड लागू नहीं होगा और उस स्थिति में निम्नलिखित खंड लागू होगा। अनुबंधों के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद को किसी भी पक्ष द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग में एकमात्र मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसे भारत सरकार के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रभारी है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के तहत मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा। मध्यस्थ का निर्णय विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होगा, बशर्ते, ऐसे निर्णय से व्यथित कोई भी पक्ष, निर्णय को रद्द करने या संशोधित करने के लिए विधि सचिव, विधि और कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को आगे संदर्भ दे सकता है। ऐसे संदर्भ पर, विवाद का निर्णय विधि सचिव या विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा किया जाएगा, जब विधि सचिव द्वारा ऐसा अधिकृत किया जाएगा, जिसका निर्णय पक्षों को अंतिम और निर्णायक रूप से बाध्य करेगा। विवादों के पक्ष मध्यस्थ द्वारा सूचित किए गए मध्यस्थता की लागत को समान रूप से साझा करेंगे। यदि किसी शर्त या मामले के कारण एनएससी और अन्य पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दे को हल करना पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड दोनों पक्षों की सहमति से इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पक्ष कानून की अदालत में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और अंग्रेजी भाषा में होगी। दिल्ली की अदालत के पास क्षेत्राधिकार होगा।

J. मूल्य बोली:- PRICE BID:-

इस अनुबंध के साथ किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित आरओ द्वारा उपरोक्त नियम और शर्त, संबंधित स्थान पर कार्य का दायरा, अनुबंध / ठेकेदार का प्रकार पर विचार करते हुए मूल्य बोली तैयार की जानी चाहिए।

K. सीसी टीवी कैमरे- CC TV CAMERAS-

गोदाम में प्रसंस्करण संयंत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह सीसी टीवी कैमरे की सुविधा होनी चाहिए।

A). AGREEMENT (FORMAT FOR GODOWN HIRING)

यह अनुबंध मेसर्स ----- के बीच आज दिनांक ----20 को किया गया और निष्पादित किया गया। इसके बाद इसे 'गोदाम' कहा जाएगा। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को इसके बाद 'एनएससीएल' कहा जाएगा।

गोदाम किराये पर लेने की शर्तें और नियम; -

1. गोदाम अपने परिसर में एनएससी की निगरानी में गोदाम और कार्यालय के ----- वर्ग फुट का कवर्ड एरिया उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए एनएससीएल गोदाम के लिए ----- रुपये/वर्ग फुट/माह की दर से किराया देगा और कार्यालय और खुले क्षेत्र के लिए कोई किराया नहीं दिया जाएगा।
2. गोदाम को के आगमन से -----वर्षों से ----- तक की अवधि के लिए किराये पर लिया गया है।
3. अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ायी/घटाई जा सकती है। नियम व शर्तें समान रहेगी | नवीनीकृत इसी आधार से किया जा सकता है ।
4. भुगतान मासिक बिलों के आधार पर किया जाएगा ।
5. मालिक की पूर्व अनुमति के बिना एनएससी किराए पर लिए गए गोदाम में कोई बदलाव नहीं करेगा।
6. किराए पर लिए गए परिसर को 1 महीने के नोटिस पर किराए से हटाया जा सकता है।
7. संपत्ति कर, जल कर, नगर पालिका कर आदि सहित सभी कर गोदाम के मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. गोदाम मालिक आवश्यकतानुसार सफेदी और छोटी-मोटी मरम्मत जैसे आवश्यक रखरखाव कार्य करेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में, एनएससी के सीएमडी एकमात्र मध्यस्थ होंगे और मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।
10. एनएससी द्वारा रखे गए स्टॉक के संबंध में सभी शुल्क और व्यय, जैसे फ्यूमिगेशन, बीमा, लोडिंग, अनलोडिंग आदि एनएससी द्वारा वहन किए जाएंगे।
11. यदि एनएससी को बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो गोदाम के मालिक को इसकी व्यवस्था करनी होगी और प्रति यूनिट बिजली की वास्तविक खपत का भुगतान एनएससी द्वारा किया जाएगा।
12. यदि एनएससी को इस परिसर में किसी अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसे उपलब्धता और आपसी सहमति के अनुसार उसी दर पर @ रु.-----/वर्गफुट/माह पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
13. एनएससी इस गोदाम का उपयोग एनएससी द्वारा आवश्यक बीजों और अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए करेगा।
14. एनएससी को परिसर की संपत्ति को किराए पर नहीं देना चाहिए, सौंपना नहीं चाहिए या अन्यथा कब्जे से अलग नहीं होना चाहिए।
15. गोदाम का ताला और चाबी एनएससी के पास रहेगी।

16. गोदाम (बुनियादी ढांचे) का बीमा गोदाम के मालिक द्वारा कराया जाना चाहिए।

17. गोदाम को किराए पर देने के लिए निविदा सभी कागज़, सामान्य नियम व शर्तें व हस्ताक्षर कर की सभी सामान्य शर्तें अनुबंध का हिस्सा हैं।

गोदाम के लिए और उसकी ओर से

मेसर्स-----

नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्षेत्रीय प्रबंधक

एनएससी भोपाल

गवाह:

क्षेत्र प्रबंधक

एनएससी -----

1.

2.

5) गोदाम किराये पर लेने का शुल्क: Godown Hiring Charges:

गोदाम शुल्क प्रति वर्ग फुट/माह के आधार पर उद्धृत किया जाना चाहिए। कर: जीएसटी, नगरपालिका/नगर पालिका आदि जैसे सभी अप्रत्यक्ष करों का वहन नियमानुसार गोदाम मालिक द्वारा किया जाएगा। गोदाम किराये पर लेने के लिए बिल की गई राशि के प्रत्येक @10% से टीडीएस या कोई भी लागू कर काटा जाएगा।

6) किराए पर लिए गए गोदाम की दरें - Hired godown rates –

1. गोदाम किराए पर लेने की दर प्रति वर्ग फुट/माह के आधार पर उद्धृत की जाएगी।

2. बिलिंग के लिए विचारित स्थान गोदाम के अंदर का आयाम है।

4. बोली को अंतिम रूप देने के बाद सफल बोलीदाता को 1000 रुपये प्रति स्टांप पेपर के न्यायिक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

5. अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ायी/घटाई जा सकती है। नियम व शर्तें समान रहेगी | नवीनीकृत इसी आधार से किया जा सकता है ।

6. किराए पर लिए गए गोदाम को 1 महीने के नोटिस के साथ किराए पर छोड़ा जा सकता है।

7. उद्धृत दर में सभी लागू कर शामिल होने चाहिए।

8. संपत्ति कर, जल कर, नगर पालिका कर आदि जैसे सभी कर गोदाम मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे।

9. गोदाम की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव जैसे कि सफेदी/रंगाई/पेंटिंग/वेंटिलेटर के कांच को बदलना आदि नियमित रूप से किया जाना चाहिए। यदि किसी मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता है/देखा जाता है, तो उसे किया जाएगा।
10. गोदाम के मालिक को बिजली की व्यवस्था करनी होगी और प्रति यूनिट वास्तविक लागत खपत का भुगतान किया जाएगा।
11. यदि एनएससीएल को उसी परिसर में किसी अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है, तो इसे स्वीकृत बोली दर पर उपलब्धता के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।
12. एनएससीएल गोदाम का उपयोग बीज और अन्य कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए करेगा।
13. किराए पर लिए गए गोदाम का ताला और चाबी एनएससीएल के पास रहेगी।
14. गोदाम के बुनियादी ढांचे का बीमा गोदाम मालिक के सफल बोलीदाता द्वारा कराया जाना है।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में, सीएमडी, एनएससीएल एकमात्र मध्यस्थ होंगे और मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में होगा।

---- ***** ----

Section III Technical Bid

1. The Godown owner has to provide the following documents in

Name of the Firm/Godown with complete address, contact no E-mail address on of godown for which submitting the tender)	License for running godown , Godown utility certificate , Business license as godown manager from concerned departments. Insurance copy on infrastructure on fire, theft & natural calamity.	Area of godowns (In Sq Feet)(inside godown dimensions)with plan and elevation (Drawing certified by professional Engineer/ Architect) & approved lay out plan of godown/warehouse with concerned department.
1	2	

(A copy has to be attached for Sr.No. 2 &3)

2. Registration :

GST No.	
	Attach copy

3. Income tax Details::

PAN No	Returns for Last One Years (to be attach)	
	Year	Copy
	2024-25	

4. तीन खाली चेकों (राष्ट्रीयकृत बैंक) का विवरण, इस पत्र के साथ कि ये चेक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को दी गई सुरक्षा के उद्देश्य से हैं, भोपाल में देय हैं और लेटरहेड पर चेकों की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- A) Cheque nos. -----
- B) Name of bank.
- C) Name of Branch
- D) IFSC
- E) Current account no.
5. Each and every concerned page of tender document should be signed with stamp of authorized signatory tenderer.

Signature of Godown owner: _____

Name of Godown owner: _____

Seal of Godown owner: _____

Financial Bid

ii Rate Schedule for Hiring of Godown

The godown charges have to quote on per sft/month basis.

Taxes: All the indirect taxes like GST, Municipality/Nagar palika etc will be borne by godown owner as per rule.

The TDS or any applicable Taxes will be deducted from each @10% of billed amount for godown hiring.

S.No.	Available godown in Sft	Rater per sft/month
		Rs. _____ per sft/Month
		Rupees _____

Signature of the Godown Owner: _____

Name of the Godown Owner: _____

Seal of the Godown Owner: _____
Cell No. _____

Location:
Dated:
